

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, गंगापूर सिटी (राजस्थान)

पीठाधीन अधिकारी :- हरि राम भीना, आर.ए.एस.

अपील संख्या- 66/2022

(76 एल.आर.एक्ट.)

उत्तमान

1. शिवकेश पुत्र श्री हरकेश जाति भीना गिनासी ग्राम डोब तहसील वजीरपुर।  
.....अपीलार्थी

बनाम

2. सरकार जरिए तहसीलदार तहसील वजीरपुर।  
.....रेसपोडेन्ट

उपस्थित:-

1. श्री हरिशंकर शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी।
2. राजकीय पेशेकार रेसपोडेन्ट की ओर से।

:: निर्णय ::

दिनांक:- 25/10/2023

यह अपील न्यायालय तहसीलदार वजीरपुर के मुकदमा नं० 41/22 वजनवानी सरकार बनाम शिवकेश निर्णय दिनांक 05.08.2022 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि हल्का पटवारी ग्राम डोब द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ संवत् 2079 में खरीफ फसल में अनाधिकृत खरारा नं० 1182 रकबा 1.00 हैक्टर चारामाह भूमि पर कब्जा करने की रिपोर्ट तहसीलदार वजीरपुर के रामध पेश की तहसीलदार वजीरपुर ने अपीलार्थी को 60 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित करने के आदेश दिये हैं जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी को यह अपील पेश करना आवश्यक हुई है। निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून है जो खारिज होने योग्य है। अपीलार्थी को पश्चात्तवर्ती अतिक्रमी साबित नहीं होते हुए भी सिविल कारावास से दण्डित करने में कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस तागील नहीं हुए उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने एक तरफा निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलार्थी को अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 05.08.2022 की जानकारी पुलिस थाना वजीरपुर के सिपाही का गिरफ्तारी वारन्ट की तागील करवाने प्रार्थी के घर जाकर प्रार्थी की तलाश करने से दिनांक 07.09.2022 को हुई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय अदालत मातहत दिनांक 05.08.2022 निरस्त फरमाया जावे।

अपीलार्थी की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 गियाद अधिनियम गय शपथ पत्र पेश किया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलार्थी को तहसीलदार वजीरपुर के आदेश दिनांक 05.08.2022 की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थीगण/अपीलार्थी को अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 07.09.2022 की जानकारी पुलिस थाना वजीरपुर के सिपाही का गिरफ्तारी वारन्ट की तागील करवाने प्रार्थी के घर जाकर प्रार्थी की तलाश करने से दिनांक 07.09.2022 को हुई है। इससे प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी। अतः प्रार्थना पत्र गय शपथ पत्र पेश कर निर्णय अदालत मातहत दिनांक 05.08.2022 की जानकारी दिनांक 07.09.2022 होने से अपील अन्दर गियाद शुमार फरमायी जावे। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज सिस्टर की गई रेसपोडेन्ट को जरिए सम्मन तलब किया गया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं राजकीय पेशेकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि विवादित आराजी ग्राम डोब की सरकारी चारामाह भूमि ख.नं. 1182 रकबा 1.00 है. पर श्री शिवकेश पुत्र



श्री हरकेश जाति मीना निवासी मैडी द्वारा अवैध रूप से कब्जा होना जाहिर किया है जबकि आराजी मौके पर अपीलार्थी का कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का ने विना मौका निरीक्षण किये एवं विना पैमाईश किये, अदालत मातहत में अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपीलार्थी को विधिवत नोटिस तामील नहीं हुए है, उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने एक तरफा निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है और ना ही पूर्व में अतिक्रमण करने व वेदखल करने के बारे में कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। अपीलार्थी को विना साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का अवसर दिये विना ही अदालत मातहत द्वारा निर्णय पारित किया है जो निरस्त किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी इस बात का शपथ पत्र प्रस्तुत करने को तैयार है कि हमारे द्वारा विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट का कथन है कि अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। उन्हें अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। भूमि चारागाह भूमि है जो सरकारी भूमि है। अतः अपीलार्थी किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त किये जाने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावें।

हमारे द्वारा बहस विद्वान अभिभाषकगण अपीलार्थी व पैरोकार सरकार के तर्कों पर मनन किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली से जाहिर है कि अदालत मातहत ने अपीलार्थी की तामील भू -राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 60 के प्रावधानों के अनुसार नहीं करवायी जाकर परिवार के अन्य सदस्यों से करवायी गई है जो विधि के विरुद्ध है। अदालत मातहत को चाहिये था कि वे अपीलार्थी की तामील विधि प्रक्रिया अनुसार पूर्ण करवाकर तथा अपीलार्थी को विधिवत् सुनवाई का अवसर देते हुए आदेश पारित करना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है जो विधि के प्रावधानों के विरुद्ध है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अदालत मातहत द्वारा सिविल कारावास की सजा के आदेश जारी करने से पूर्व पश्चातवृत्ति अतिक्रमण सावित करवाने के लिए अपीलार्थी/अप्रार्थी के बयान व अप्रार्थीगण से जिरह कर निष्कर्ष निकाला जाकर स्पष्ट रूप से निर्णित किया जाना चाहिए था। अप्रार्थी के पश्चातवृत्ति अतिक्रमी सावित होने के पश्चात् ही राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(6) में सिविल कारावास से दण्डित किया जाना चाहिए था, परन्तु अदालत मातहत ने विना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलार्थी को सिविल कारावास की सजा की गई है जो अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.08.2022 सिविल कारावास की सजा तक अपास्त किया जाता है तथा शेष निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/10/2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाता है।



DL  
(हरि राम मीना)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
11/10/23 गंगपुर सिटी  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
गंगपुर सिटी